# न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारीः— श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस., जिला कलक्टर, धौलपुर

विविध प्रार्थना पत्र नम्बर(मुकदमा नम्बर):— 27/2018

(जी.सी.एम.एस. नम्बर 2018/00054 )

उनवान प्रकरण :—

सचिव, सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, धौलपुर .....प्रार्थी

**बनाम**

| | | |
|---|---|---|
| 1—रामवेटी पत्नी सुघरा | । | समस्त जाजिगण गुर्जर |
| 2—मलखान पुत्र सुघरा | । | |
| 3—गुडडी पुत्री सुघरा | । | समस्त निवासीगण ग्राम बडापुरा मौरोली |
| 4—सीया पुत्री सुघरा | । | |
| 5—सांवलिया पुत्र दुर्जन | । | तहसील व जिला धौलपुर |
| 6—केदार पुत्र सलिका | । | |

.....अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 99 व 103 राज0 सह0सोसायटी अधिनियम 2001 के तहत ऋणी सदस्य की बैंक में रहन सम्पत्ति को बैंक के पक्ष में अन्तरित करने बाबत।**

उपस्थितिः—

प्रार्थी की ओर सेः— श्री रमन गुप्ता, प्रतिनिधि बैंक

**निर्णय** **दिनांकः— 22.10.2024**

प्रार्थी बैंक द्वारा एक प्रार्थना पत्र राजस्थान सह. सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के तहत एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण द्वारा बैंक से लिए गए ऋण की समय पर अदायगी नही करने के कारणअप्रार्थीगण के विरूद्ध वर्तमान में 349644/ रूपये की राशि बकाया निकल रही है। इस बकाया अवधिपार राशि की वसूली हेतु प्रार्थी द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 99 के तहत नोटिस जारी कर अधिनियम की धारा 100 के तहत आदेश जारी कर ऋण की सुरक्षा स्वरूप बैंक के पक्ष में रहन की गई कृषि भूमि की 4—5 बार नीलामी कार्यवाही

समय–समय पर की गई किन्तु नीलामी कार्यवाही के दौरान किसी भी क्रेता द्वारा बोली नही लगाये जाने के कारण रहन शुदा कृषि आराजी की नीलामी नही हो पाई जिसके कारण बैंक की बकाया ऋण राशि की वसूली संभव नही हो पा रही है। राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के अन्तर्गत जो सम्पत्ति क्रेताओ के अभाव में बेची नही जा सके उस सम्पत्ति को सम्बन्धि संस्था की सहमति पर सम्बन्धित संस्था को अन्तरण करने का अधिकार जिला कलक्टर को उक्त अधिनियम के तहत प्रदत्त किये गये है। तथा बैंक के प्रशासक द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 15.06.2017 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी अप्रार्थीगण की रहन शुदा कृषि भूमि जो क्रेताओ के अभाव में बेची नही जा सकी है, को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 व 99 के अनुसार प्रार्थी अपने नाम अन्तरण करने हेतु सहमत है। अतः बैंक हितो को ध्यान में रखते हुए प्रशासक द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव एंव अधिनियम की धारा 103 व नियम 99/100 के प्रावधानो के अन्तर्गत आदतन ऋण अदा नही करने वाले अप्रार्थीगण की बैंक में रहन शुदा कृषि आराजी जो नीलामी कार्यवाही में क्रेताओ के अभाव में बेची नही जा सकी, को प्रार्थी बैंक के नाम अन्तरण (Transffer) किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को बकाया ऋण राशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी किया गया। यदि अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें।

अप्रार्थीगण को जारी नोटिस की तामील विधिवत् रूप से कराई गई। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस सूचना के असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित नही हुए। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये।

प्रार्थी बैंक ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नोटिस दिनांक 30.11.2007, डिक्री आदेश 16.01.2008, निष्पादन आदेश दिनांक 30.09.2012, विक्रय की उद्घोषणा दिनांक 02.06.2014,11.12.2015, 08.01.2016, 02.05.2016, 30.04.2017 मांग का नोटिस की प्रति, रहननामा की प्रति, जमाबन्दी सम्बत् 2071 से 2074 ग्राम बडापुरा मौरोली तहसील धौलपुर पेश की है।

प्रार्थी बैंक के प्रतिनिधि की बहस सुनी गई। बैंक के प्रतिनिधि ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा बैंक से लिए गए ऋण की समय पर अदायगी नही करने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध वर्तमान में 1022196/– रूपये ( जिसमें से अवधि पर असल 183053/– रूपये, ब्याज 123841/–रूपये, द0ब्याज 21294/– रूपये वसूली व्यय 25900/– रूपये )कुल 349644/– राशि बकाया निकल रही है। इस बकाया राशि की वसूली हेतु अप्रार्थीगण को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 के नियम 99 के तहत नोटिस जारी कर अधिनियम की धारा 100 के तहत आदेश जारी कर ऋण की सुरक्षा स्वरूप बैंक के पक्ष में रहन की गई कृषि भूमि की 4–5 बार नीलामी कार्यवाही समय–समय पर की गई किन्तु नीलामी कार्यवाही के दौरान किसी भी क्रेता द्वारा बोली नही लगाये जाने के कारण रहन शुदा कृषि आराजी की नीलामी नही हो पाई जिसके

कारण बैंक की बकाया ऋण राशि की वसूली संभव नही हो पाई। बैंक के प्रशासक द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 15.06.2017 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी अप्रार्थीगण की रहन शुदा कृषि भूमि जो क्रेताओ के अभाव में बेची नही जा सकी है, को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 व नियम 99 के अनुसार प्रार्थी अपने नाम अन्तरण कराने हेतु सहमत है। अतः बैंक हितो को ध्यान में रखते हुए प्रशासक द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव एंव अधिनियम की धारा 103 व नियम 99/100 के प्रावधानो के अन्तर्गत अप्रार्थीगण की बैंक में रहन शुदा कृषि आराजी खसरा नम्बर 1610 रकवा 2 वीधा 13विस्वा, 1611 रकवा 1बीघा 14 विस्वा, 1612 रकवा 19 विस्वा, 1613 रकवा 14 विस्वा, 1957 रकवा 05 विस्वा, 1958 रकवा 01 वीधा कुल 6 किता 07 वीधा 05 विस्वा का 1/2 भाग ग्राम बडापुरा एवं खसरा नम्बर 1540 रकवा 01 बीधा 01 विस्वा, 1541 रकवा 01 वीधा 09 विस्वा कुल दो किता 2वीधा 10 विस्वा का 1/4 भाग बांके ग्राम बडापुरा एंव आराजी खसरा नम्बर 939 रकवा 3 बीघा 11 विस्वा ग्राम मौरोली में 1/2 भाग एवं खसरा नम्बर 1572 रकवा 01 वीधा 05 विस्वा, 1573 रकवा 01 वीधा 11 विस्वा, 1997 रकवा 01 वीधा 13 विस्वा, 1998 रकवा 01 वीधा 09 विस्वा, 1999 रकवा 01 वीधा 09 विस्वा, 2000 रकवा 01 वीधा 05 विस्वा कुल किता 6 कुल रकवा 8 वीधा 12 विस्वा बांके ग्राम बडापुरा का 1/3 भाग एवं खसरा नम्बर 790 रकवा 01 वीधा 10 विस्वा, 794 रकवा 01 वीधा 16 विस्वा ग्राम वीछिया कुल किता 2 कुल रकवा 3 बीघा 6 विस्वा का 1/3 भाग जो नीलामी कार्यवाही में क्रेताओ के अभाव में बेची नही जा सकी, को प्रार्थी बैंक के नाम अन्तरण (Transffer) किया जावे।

प्रार्थी सचिव भूमि विकास बैंक लिमिटेड धौलपुर के प्रतिनिधि की बहस सुनने एंव पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया ऋण राशि 349644/– रूपये जमा नही करवाई गई है। तथा अप्रार्थीगण की बैंक में रहन शुदा सम्पत्ति आराजी खसरा नम्बर आराजी खसरा नम्बर 1610 रकवा 2 वीधा 13 विस्वा, 1611 रकवा 1बीघा 14 विस्वा, 1612 रकवा 19 विस्वा, 1613 रकवा 14 विस्वा, 1957 रकवा 05 विस्वा, 1958 रकवा 01 वीधा कुल 6 किता 07 वीधा 05 विस्वा का 1/2 भाग ग्राम बडापुरा एवं खसरा नम्बर 1540 रकवा 01 बीधा 01 विस्वा, 1541 रकवा 01 वीधा 09 विस्वा कुल दो किता 2वीधा 10 विस्वा का 1/4 भाग बांके ग्राम बडापुरा एंव आराजी खसरा नम्बर 939 रकवा 3 बीघा 11 विस्वा ग्राम मौरोली में 1/2 भाग एवं खसरा नम्बर 1572 रकवा 01 वीधा 05 विस्वा, 1573 रकवा 01 वीधा 11 विस्वा, 1997 रकवा 01 वीधा 13 विस्वा, 1998 रकवा 01 वीधा 09 विस्वा, 1999 रकवा 01 वीधा 09 विस्वा, 2000 रकवा 01 वीधा 05 विस्वा कुल किता 6 कुल रकवा 8 वीधा 12 विस्वा बांके ग्राम बडापुरा का 1/3 भाग एवं खसरा नम्बर 790 रकवा 01 वीधा 10 विस्वा, 794 रकवा 01 वीधा 16 विस्वा ग्राम वीछिया कुल किता 2 कुल रकवा 3 बीघा 6 विस्वा का 1/3 भागको जरिये नीलामी 4–5 बार विक्रय करने हेतु कार्यवाही की गई किन्तु क्रेताओ के अभाव में उक्त सम्पत्ति बेची नही जा सकी है। न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को बैंक की उक्त राशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस की विधिवत् तामील अप्रार्थीगण पर करवाई गई किन्तु बावजूद सूचना नोटिस अप्रार्थीगण द्वारा

बकाया राशि प्रार्थी बैंक में जमा नही करवाई और नाही न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश किया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः न्याय के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्त रहन शुदा आराजी

खसरा नम्बर 1610 रकवा 2 वीधा 13 विस्वा, 1611 रकवा 1बीघा 14 विस्वा, 1612 रकवा 19 विस्वा, 1613 रकवा 14 विस्वा, 1957 रकवा 05 विस्वा, 1958 रकवा 01 वीधा कुल 6 किता 07 वीधा 05 विस्वा का 1/2 भाग ग्राम बडापुरा एवं खसरा नम्बर 1540 रकवा 01 बीधा 01 विस्वा, 1541 रकवा 01 वीधा 09 विस्वा कुल दो किता 2वीधा 10 विस्वा का 1/4 भाग बांके ग्राम बडापुरा एंव आराजी खसरा नम्बर 939 रकवा 3 बीघा 11 विस्वा ग्राम मौरोली में 1/2 भाग एवं खसरा नम्बर 1572 रकवा 01 वीधा 05 विस्वा, 1573 रकवा 01 वीधा 11 विस्वा, 1997 रकवा 01 वीधा 13 विस्वा, 1998 रकवा 01 वीधा 09 विस्वा, 1999 रकवा 01 वीधा 09 विस्वा, 2000 रकवा 01 वीधा 05 विस्वा कुल किता 6 कुल रकवा 8 वीधा 12 विस्वा बांके ग्राम बडापुरा का 1/3 भाग एवं खसरा नम्बर 790 रकवा 01 वीधा 10 विस्वा, 794 रकवा 01 वीधा 16 विस्वा ग्राम वीछिया कुल किता 2 कुल रकवा 3 बीघा 6 विस्वा का 1/3 भाग को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 103 के अन्तर्गत सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड धौलपुर के पक्ष में अन्तरित किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी )
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)